

श्री सुनील कुमार सिंह (चतरा) : माननीय अध्यक्ष जी, एक निवेदन के साथ मैं अपनी बात शुरू करूंगा कि लोक सभा के इतिहास में मेरी जानकारी में संभवतः पहली बार यह विषय उठ रहा है, इसलिए कृपा करके मुझे मेरी बात पूरी कहने की अनुमति दें। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं कुछ महत्वपूर्ण बिन्दुओं को ही रखूंगा।

हमारी एक मगही भाषा है जो झारखंड, बिहार और नेपाल के बड़े हिस्से में बोली जाती है। लगभग दो करोड़ लोग इस भाषा को बोलने वाले हैं। इस भाषा की खासियत यह भी है कि इस भाषा की अपनी लिपि भी है। जिसे कैथी के नाम से जानते हैं। अभी तक इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है।

महोदया, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ग्रामस्थिर कव्छ्यानों ने मगही भाषा के महत्व को लिखते हुए कहा है कि यह भाषा सभी भाषाओं की बुनियाद है। प्रकांड पंडितों और अन्य लोगों द्वारा काल की शुरुआत में इस भाषा को बोलने की चर्चा की गई है। सर्वोच्च एवं पूज्य भगवान बुद्ध की जो तपोस्थली है, वह भी इसी भाषा के क्षेत्र में आती है।...(व्यवधान)

मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो आज बिहार की राजधानी पटना है, शिशुनाग वंश ने मगध साम्राज्य को स्थापित किया था। मगध साम्राज्य का भारत में 684 बी.सी. से 320 बी.सी. तक उल्लेख है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इस भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाए।...(व्यवधान)

अंत में हम रउरा से विनती करब कि मगध ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और विश्व में मगही भाषा के प्रचलन को देखते हुए, मगही भाषा के संविधान के आठवीं अनुसूची में जोड़े के कृपा कइल जाए। इ उपकार त, हमनी मगही भाषी जीवन भर राउर आभारी रहब। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री रविन्द्र कुमार पाण्डेय को श्री सुनील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।